कार्यालय : मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड
4 – सुभाष रोड़, सचिवालय परिसर, देहरादून – 248001

फोन न0 (0135) – 2712055, 2713551
फैक्स न0 (0135) – 2712014, 2713724

संख्या 1349 /XXV–12 /2008 (P–3) देहरादून : दिनांक 2 मार्च ~~फरवरी~~, 2017

सेवा में,

श्री मोहित शर्मा,
पुत्र श्री जगदीश प्रसाद शर्मा,
म0नं0 141 ए.एन.डी. स्कूल के पास,
हरिपुर कलां, रायवाला मोतीचूर,
ऋषिकेश, देहरादून।

विषयः– **सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अर्न्तगत चाही गयी सूचना के संबंध में।**

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके सूचना के अधिकार अधिनियम से सम्बन्धित आवेदन पत्र का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम सें आपके द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत वांछित सूचना निम्न प्रकार प्रेषित की जा रही हैः–

1. बिन्दु संख्या–01, 03 एवं 04 में चाही गयी सूचना के क्रम में वांछित सूचना उपलब्ध कराये जाने हेतु संबंधित विभाग के लोक सूचना अधिकारियों को सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 की धारा 6 (3) के अर्न्तगत अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु हस्तान्तरित किया जा रहा है।
2. बिन्दु संख्या–02, में चाही गयी सूचना के क्रम में अवगत कराना है कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी निर्देशों की प्रति संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।

यदि आप उपरोक्त उपलब्ध करायी गयी सूचनाओं से सन्तुष्ट न हों तो विभागीय अपीलीय अधिकारी के सम्मुख निम्न पते पर अपील प्रस्तुत कर सकते हैंः–

विभागीय अपीलीय अधिकारी एवं
सहायक मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड,
04–सुभाष रोड़,सचिवालय परिसर, देहरादून।

कृपया प्राप्ति स्वीकार करने का कष्ट करें।

संलग्न–यथोपरि।

भवदीय,

B.S. Rawat
(बी0 एस0 रावत)
अनुभाग अधिकारी एवं
लोक सूचना अधिकारी

पृ0संख्या 1349 /XXV–12(1–5)/2008, तद्दिनांक।

प्रतिलिपिः– लोक सूचना अधिकारी, पुलिस मुख्यालय, सचिव कार्मिक, सचिव वित्त, उत्तराखण्ड शासन, निदेशक कोषागार, आयुक्त परिवहन, आयुक्त आपूर्ति, महानिरीक्षक कारागार, निदेशक कृषि, निदेशक पशुपालन, निदेशक श्रम एवं सेवायोजन, आयुक्त ग्राम्य विकास, निदेशक उद्यान, आयुक्त आबकारी विभाग उत्तराखण्ड की सेवा में इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि सूचना अधिकार से संबंधित संलग्न आवेदन पत्र के बिन्दु संख्या–01, 03 एवं 04 में वांछित सूचना नियमानुसार उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

B.S. Rawat 02-3-17
(बी0 एस0 रावत)
अनुभाग अधिकारी एवं
लोक सूचना अधिकारी

सेवा में,

लोक सूचना अधिकारी,
कार्यालय–मुख्य निर्वाचन अधिकारी–उत्तराखण्ड,
देहरादून।

विषयः– <u>सूचना अधिकार अधिनियम–2005 की धारा–6(1) के अन्तर्गत सूचना पाने के सम्बन्ध में।</u>

महोदय,

उपरोक्त विषयक विन्रम निवेदन है कि कृपया निम्नांकित बिंदुओं पर सूचना प्रदान करने की कृपा करें।

01– निम्न विभागों–कोषागार, परिवहन, आपूर्ति, कारागार, कृषि, पशुपालन, श्रम सेवायोजन, ग्राम्य विकास, पुलिस, प्रशासन, वित्त, उद्यान, आबकारी विभाग में अपने–अपने गृह जनपदों में कार्यरत समूह क एवं ख(राजपत्रित) अधिकारियों की सूची–नाम, पदनाम, कार्यालय पता सहित उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

02– भारत निर्वाचन आयोग अथवा निर्वाचन आयोग उत्तराखण्ड का वह नियम, जिसमें यह प्राविधान है कि गृह जनपद में नियुक्त कार्मिक/अधिकारी का स्थानान्तरण निर्वाचन के दौरान किया जाना होगा, की सत्यापित प्रति प्रदान करने का कष्ट करें।

03– उपर्युक्त प्रशासकीय विभागों द्वारा विधान सभा निर्वाचन–2017 के दृष्टिगत अपने गृह जनपद में नियुक्त अधिकारियों में से स्थानान्तरित किये गये अधिकारियों की विवरण सूची उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

04– विधान सभा निर्वाचन–2017 के दृष्टिगत गृह जनपद में नियुक्त 'क' एवं 'ख' समूह के अधिकारियों का अन्य जनपद में स्वंय निर्वाचन आयोग उत्तराखण्ड द्वारा स्थानान्तरण करने या स्धानान्तरण करने के लिए प्रशासकीय विभाग को की गयी समस्त संस्तुतियों उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

<u>नोट प्रार्थनाः</u> उपरोक्त सूचना प्राप्ति हेतु नियमानुसार रू0 10.00 मूल्य का पोस्टल आर्डर संख्याः 37 एफ 824018 सूचना शुल्क के रूप में तथा रू0 5.00 मूल्य का पोस्टल आर्डर संख्याः 65 सी 340274 प्रतिलिपि शुल्क अग्रिम प्रेषित कर रहे हैं।

प्राप्त 01-2-17

सलग्नक–उपरोक्त पोस्टल आर्डर(02)

श्री सेमवाल
अ॰ का॰ का॰ को

06-2-17
S.D.

भवदीय

Mohit 27/1/17

(मोहित शर्मा)
पुत्र श्री जगदीश प्रसाद शर्मा
म.न.141 ए.एन.डी.स्कूल के पास
हरिपुर कलां रायवाला मोतीचूर
ऋषिकेश–देहरादून।

ELECTION-URGENT

प्रेषक,

संख्या– 924 /XXV – 17 / 2016

मुख्य सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवामें,

1. प्रमुख सचिव,
   गृह, उत्तराखण्ड शासन।
2. सचिव,
   कार्मिक / राजस्व,
   उत्तराखण्ड शासन
3. पुलिस महानिदेशक,
   उत्तराखण्ड।
4. मण्डलायुक्त,
   गढ़वाल / कुमायूँ मण्डल।
5. समस्त जिलाधिकारी,
   उत्तराखण्ड।

निर्वाचन अनुभाग–1 दिनांक : देहरादूनः 12. सितम्बर, 2016

विषयः– विधान सभा के आगामी सामान्य निर्वाचन–2017, को स्वतंत्र–निष्पक्ष एवं पारदर्शी रूप से संचालित / सम्पादित करवाने हेतु अधिकारियों / कर्मचारियों की तैनाती / स्थानान्तरण के संबंध में आयोग के निर्देश।

महोदय,

भारत निर्वाचन आयोग द्वारा विधान सभा के आगामी सामान्य निर्वाचन–2017 को स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं पारदर्शी रूप से संचालित एवं सम्पादित करवाने के लिए अपने पत्र **संख्या–437/6/1/INS/ECI/FUNCT/MCC/2016 दिनांक 07 सितम्बर, 2016 (प्रति संलग्न)** के द्वारा निर्वाचन से संबंधित अधिकारियों के स्थानान्तरण एवं तैनाती हेतु नीति निर्धारित की गई है।

1– निर्वाचन कार्य से संबंधित कोई भी अधिकारी यथा, जिला निर्वाचन अधिकारी, उप जिला निर्वाचन अधिकारी, रिटर्निगं एवं सहायक रिटर्निगं आफिसर, निर्वाचक एवं सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, निर्वाचन से संबंधित नोडल आफिसर यथा अपर जिलाधिकारी, उप जिलाधिकारी, डिप्टी कलेक्टर, तहसीलदार, खण्ड विकास अधिकारी और समान पदधारक निर्वाचन से संबंधित अन्य अधिकारी गृह जनपद में तैनात नहीं किए जायेंगे। आयोग के उक्त दिशा–निर्देश आईजी पुलिस, डीआईजी पुलिस, कमाण्डेंट ऑफ स्टेट आर्म पुलिस, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, पुलिस अधीक्षक, अपर पुलिस अधीक्षक, उप पुलिस अधीक्षक, एस0एच0ओ0, इन्सपेक्टर, सब इन्सपेक्टर, आर0आई0, सर्जेन्ट मेजर और समान पदधारक पुलिस अधिकारियों पर भी लागू होंगे।

2– उल्लिखित कोई भी अधिकारी जो **दिनांक 31 मार्च, 2017 को संबंधित जनपद, तैनाती स्थल पर विगत चार वर्षों में तीन वर्ष की सेवा पूर्ण कर रहा है** उन्हें आयोग के उक्त दिशा–निर्देशों के अनुसार संबंधित जनपद, तैनाती स्थल से स्थानान्तरित किया जायेगा। तीन वर्ष की उक्त सेवा अवधि में यदि किसी अधिकारी की पदोन्नति भी हुई हो तो उसे भी उक्त अवधि के अन्तर्गत सम्मिलित माना जायेगा।

क्रमशः–2 पर

3— निर्वाचन कार्यों से संबंधित उपरोक्त कोई भी अधिकारी जो विगत विधान सभा सामान्य निर्वाचन/किसी भी उप निर्वाचन में किसी जनपद,/विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रान्तर्गत आदि में तैनात रहा हो उन्हें पुनः उसी जनपद/क्षेत्र में स्थानान्तरित/तैनात नहीं किया जायेगा।

4— किसी भी निर्वाचन के सफलतापूर्वक संचालन एवं सम्पादन के लिए निर्वाचन संबंधी विभिन्न कार्यों के लिए बहुत अधिक संख्या में अधिकारियों/कर्मचारियों की तैनाती की जाती है, इस लिए ऐसे अधिकारी/कर्मचारी जो निर्वाचन कार्यों से सीधे संबंध नहीं हैं, आयोग के उक्त दिशा–निर्देश ऐसे किसी भी अधिकारी/कर्मचारी यथा डाक्टर, इंजीनियर, शिक्षकों, प्रधानाचार्यों तथा जोनल एवं सेक्टर मजिस्ट्रेट के रूप में तैनात किए जाने वाले अधिकारियों पर लागू नहीं होंगे।

5— विगत में यदि भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा किसी अधिकारी के विरूद्ध निर्वाचन संबंधी कर्तव्यों में लापरवाही हेतु कोई अनुशासनिक कार्यवाही की संस्तुति की गई हो, या किसी अधिकारी को विगत किसी निर्वाचन में आयोग की संस्तुति पर स्थानान्तरित किया गया हो, अथवा किसी अधिकारी के विरूद्ध किसी न्यायालय में निर्वाचन से संबंधित कोई आपराधिक मुकदमा प्रचलित हो, तो ऐसे किसी भी अधिकारी को निर्वाचन कार्यों से बाहर रखा जायेगा।

6— ऐसे अधिकारी जो आगामी छः माह के अन्तर्गत सेवानिवृत्त हो रहे हैं उन्हें उक्त नीति के अन्तर्गत छूट प्रदान की जा सकती है किन्तु आयोग की पूर्वानुमति के बिना उन्हें निर्वाचन संबंधी कार्यों से संबद्ध नहीं किया जायेगा।

7— निर्वाचन से संबंधित उपरोक्त अधिकारियों आदि के द्वारा आयोग के उक्त संदर्भित पत्र दिनांक 07 सितम्बर, 2016 के प्रस्तर–6 (XIV) में नामनिर्देशन के अन्तिम दिनांक के 02 दिन पश्चात निर्धारित प्रारूप पर घोषणा पत्र प्रस्तुत करना होगा। **दिनांक 01 अक्टूबर, 2016 से निर्वाचक नामावली के पुनरीक्षण कार्य को ध्यान में रखते हुए आयोग के उक्त दिशा–निर्देशों का 20 सितम्बर, 2016 तक अनुपालन सुनिश्चित करने के साथ ही यह भी सुनिश्चित करना आवश्यक होगा कि निर्वाचन से संबंधित कोई भी पद रिक्त न रहे।**

अतः आयोग के उक्त दिशा–निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किए जाने हेतु अधीनस्थ समस्त अधिकारियों को यथोचित निर्देश निर्गत करते हुए अनुपालन आख्या से भी अवगत कराना सुनिश्चित करें ताकि तदनुसार कृत कार्यवाही से आयोग को भी अवगत कराया जा सके।

<u>संलग्नक–यथोपरि।</u>

भवदीय,

(शत्रुघ्न सिंह)
मुख्य सचिव
उत्तराखण्ड शासन।

भारत निर्वाचन आयोग
Election Commission of India

निर्वाचन सदन
NIRVACHAN SADAN
अशोक रोड, नई दिल्ली - 110 001
ASHOKA ROAD, NEW DELHI - 110 001

No.437/6/1/INST/ECI/FUNCT/MCC/2016

Dated: 7th September, 2016

To

1. The Chief Secretaries /CEOs
   - (i) Goa, Panaji;
   - (ii) Manipur, Imphal;
   - (iii) Punjab, Chandigarh;
   - (iv) Uttarakhand, Dehradun;
   - (v) Uttar Pradesh, Lucknow.

Subject: - General Elections to the State Legislative Assemblies of Goa, Manipur, Punjab, Uttarakhand and Uttar Pradesh– Transfer/Posting of officers - regarding.

Sir/Madam,

I am directed to state that the term of existing Legislative Assembly of Goa, Manipur, Punjab, is up to 18th March,2016, of Uttarakhand up to 26th March, 2016 and of Uttar Pradesh is up to 27th May,2016 .

2. The Commission has been following a consistent policy that officers directly connected with conduct of elections in an election going State/UT are not posted in their home districts or places where they have served for considerably long period.

3. Hence, the Commission has decided that no officer connected directly with elections shall be allowed to continue in the present district of posting:-

(a) If she/he is posted in her/his home district.

(b) If she/he has completed three years in that district during last four (4) years or would be completing 3 years on or before

- **31.03.2017 in case of Goa, Manipur, Punjab, Uttarakhand; and**
- **31.05.2017 in case of Uttar Pradesh.**

(i) While implementing the above said instructions / transferring officers, the concerned departments should take care that they are not posted to their home districts. It shall also be ensured that no DEO/RO/ARO/ Police inspectors/Sub-Inspector or above, is posted back or allowed to continue in the AC /district where he/she was posted in last Assembly election/ any bye election held thereafter.

1/5

(ii) If the smaller states/UTs with a few districts, face any difficulty in compliance of this, then they may refer the specific case with reasons, through CEO for exemption and the Commission would consider and issue necessary directions.

Applicability-

4. (a) These instructions cover not only officers appointed for specific election duties like DEOs, Dy. DEOs, ROs/AROs, EROs/AEROs, officers appointed as nodal officers of any specific election works but also district officers like ADMs, SDMs, Dy. Collector/Joint Collector, Tehsildar, Block Development Officers or any other officer of equal rank directly deployed for election works.

(b) As far as officers in the Police Department are concerned, these instructions shall be applicable to the Range IGs, DIGs, Commandants of State Armed Police, SSPs, SPs, Addl. SPs, Sub-Divisional Head of Police, SHOs, Inspectors, Sub-Inspector, RIs /Sergeant Majors or equivalent who are responsible for deployment of force in the district at election time or equivalent ranks who are responsible for security management or deployment of police force in the district at election time.

Compliance

5 The implementation of the Commission's aforesaid instructions shall scrupulously be followed by all concerned departments of the State/UT. The DEO or concerned district officers should ensure that officers/officials who are transferred should immediately handover their charge without waiting for their substitute.

Clarifications/Relaxations-

6. Following are the clarifications/relaxations.

(i) The police officials who are posted in functional departments like computerization, special branch, training, etc. are not covered under these instructions.

(ii) The Police Sub-Inspectors and above should not be posted in their home district.

(iii) If a police sub- inspector has completed or would be completing a tenure of 3 years out of four years on or before the cutoff date in a police sub-division, then he should be transferred out to a police sub-division which does not fall in the same AC. If it is not possible due to small size of district, then he/she should be transferred out of district.

(iv) In any election very large number of employees are drafted for different type of election duty and the Commission has no intention of massive dislocation of state machinery by massive transfers. Hence, the aforesaid transfer policy is normally not applicable to officers/officials who are not directly connected with elections like doctors, engineers, teachers/principals etc. However, if there are specific complaints of political bias or prejudice against any such govt. officer which on enquiry are found to be substantiated, the then CEO/ECI may order not only for transfer of such official but also appropriate departmental actions against him.

(v) Officers appointed as Sector Officers/Zonal Magistrate involved in election duties are not covered under these instructions. However, the Observers,CEO/ DEOs and ROs should keep a close watch on their conduct to ensure that they are fair and non-partisan in the performance of their duties.

(vi) While calculating the period of three years, promotion to a post within the district is to be counted.

(vii) These instructions do not apply to officers posted in the State headquarters of the department concerned.

(viii) The Commission also desires that the officers/officials against whom Commission had recommended disciplinary action in past and which is pending or which has culminated with a penalty or who have been charged for any lapse in any election or election related work in the past, shall not be assigned any election related duty. However, an officer who was transferred during any past election under ECI order without any recommendation of disciplinary actions will not be, just on this ground, considered for transfer unless specifically directed so by the Commission about any such officer. A copy of Commission's instruction number 464/INST/2008-EPS dated 23rd December, 2008 regarding tracking of names of tainted officers is enclosed. CEOs must ensure its compliance.

(ix) The Commission further desires that no officer/official against whom a criminal case is pending in any Court of Law be associated with the election work or election related duty.

(x) Further, while implementing the above directions, the Chief Electoral Officer of the State/UT shall invariably be consulted while posting the persons in place of present

3/5

incumbents who stand transferred as per this policy of the Commission. The copies of the transfer orders issued under these directions shall be given to the Chief Electoral Officer without fail.

(xi) The transfer orders in respect of officers/officials, who are engaged in the electoral rolls revision work, if any, shall be implemented only after final publication of the electoral rolls, in consultation with the Chief Electoral Officer concerned .In case of any need for transfer due to any extra ordinary reasons , prior approval of the Commission shall be taken.

(xii) Any officer who is due to retire within the coming six months will be exempted from the purview of the above-mentioned directions of the Commission. Further officers falling in category (home/3+ criteria if they are due to retire within 6 months) shall not be engaged for performing election duties during the elections without permission of the Commission.

(xiii) It is further clarified that all the officials of the State, who are on extension of service or re-employed in different capacities will not be associated with any election related work except those posted in the Office of the Chief Electoral Officer.

(xiv) All election related Officers will be required to give a declaration in the format given below to DEO concerned who shall inform CEO accordingly if any officer give information other than NIL

DECLARATION

(To be submitted within 2 days after the last date of nomination papers)

I.................. (Name)...................presently posted as........................... from.............. (Date) do hereby make a solemn declaration, in connection with the current General/Bye election to Lok Sabha/..........(Legislative Assembly that ....

(a) I am not a close relative of any of the contesting candidates in the current election/leading political functionary of the state/district at the aforesaid election.

(b) No criminal case is pending against me in any court of law.

Note – If answer of (a) or (b) above is yes, then give full details in a separate sheet.

Dated.............

(Name)
Designation

NOTE- Any false declaration made by any officer shall invite appropriate disciplinary actions

Compliance report-

7. Details of the action taken may be intimated to the Commission for its information immediately.

8. Please bring to the notice of all concerned the above said instructions for strict compliance.

Yours faithfully,

(R.K. Srivastava)
Sr. Principal Secretary

Copy to Sr. Pr. Secy. /Pr. Secy/Secretaries/Under Secretaries of territorial sections for information and necessary action.